रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/ आषाढ़ 20, 1936
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

सा.का.नि.497(अ)-- केन्द्रीय सरकार ने, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008'' नामक स्कीम बनाई थी ; और

उक्त स्कीम के पैरा 4 के उप पैरा (1) में यह उपबंध था कि उक्त स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निधि प्रबंधक होगी ; और

उक्त निधि प्रबंधक की पांच वर्ष की अवधि 3 नवंबर, 2013 को समाप्त हो गई है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप पैरा (2) के साथ पठित लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के लिए पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के अधीन निधि प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पुनः नियुक्त करती है ।

[फा.सं. 18-13/91-पीएल-एचएसएमडी]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2014

G.S.R.497(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government framed a scheme, namely, "the Environment Relief Fund Scheme, 2008"; and

Whereas, sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the said scheme provided that the United India Insurance Company Limited shall be the Fund Manager for a period of five years from the date of notification of the said scheme; and

Whereas, the five year term of the said Fund Manager have since expired on 3rd November, 2013.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991) read with sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, the Central Government hereby reappoints the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager under the Environment Relief Fund Scheme, 2008, for a period up to 31st December, 2014.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

AJAY TYAGI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.